बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0–भवन/स्था–02–विविध–932/2016 5692(भ)/पटना, दिनांक– 13/7/23

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार वास्तुविद् सेवा नियमावली, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1)** यह नियमावली ''बिहार वास्तुविद् सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023'' कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार वास्तुविद् सेवा नियमावली, 2014 के नियम–2(iii) का संशोधन। – उक्त नियमावली के नियम–2(iii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

   ''2(iii) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग।''

3. **बिहार वास्तुविद् सेवा नियमावली, 2014 के नियम–6 का प्रतिस्थापन। –** उक्त नियमावली के नियम–6 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   (i) चयन का आधार – (क) बिहार वास्तुविद् सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक वास्तुविद् के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एतदर्थ आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक तथा समान पद पर संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता यदि कोई हो, की गणना कर किया जायेगा।

   (ख) बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालय/संस्थान में संविदा के आधार पर सहायक वास्तुविद् के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हत्ता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम (ii)(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।

   (ii) अभ्यर्थियों की मेधासूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी:–

	पूर्णांक
(क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता	75 अंक
(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 05 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में	25 अंक

संख्या 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)	
कुल अंक	**100 अंक**

नोट–परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।

अर्थात् अधिमानता अंक = (परीक्षा में प्राप्त अंक ÷ परीक्षा के कुल अंक) X 75

(iii) (क) संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालय/संस्थान में सहायक वास्तुविद् पद पर किये गये कार्य के आधार पर कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–ऑफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

(ख) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक वास्तुविद् को अधिकतम उम्रसीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी।

(ग) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/7/23

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था–02–विविध–932/2016 5692 (भ) ....पटना, दिनांक–13/7/23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

10/7/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था–02–विविध–932/2016 5692 (भ) ....पटना, दिनांक–13/7/23

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/7/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था–02–विविध–932/2016 ....5692 (ग)....पटना, दिनांक– 13/7/23

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/सभी विभागध्यक्ष/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/विधि विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/शिक्षा विभाग/गृह विभाग/स्वास्थ्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0/बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0/बिहार राज्य आवास बोर्ड/भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण/बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0/बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम/बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/ बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि0/राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था–02–विविध–932/2016 ....5692 (ग)....पटना, दिनांक– 13/7/23

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/निदेशक, अनुश्रवण/उप सचिव (स्थापना प्रभारी)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/7/23

सरकार के सचिव।